रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2002/भाद्र 14, 1924
No. 175] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2002/BHADRA 14, 1924

[library stamp] 9/1/03

मसाला बोर्ड

अधिसूचना

कोचिन, 4 सितम्बर, 2002

फा. सं. प्रशासन/पंजीकरण/01/2002.—मसाला बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 में :—

(i) विनियम 3 में,—

(क) उप-विनियम (1) के खंड (क) में "के सचिव" शब्दों का लोप किया जाएगा,

(ख) उप-विनियम (1) में खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) प्रमाणपत्र जारीकर्त्ता प्राधिकारी, यदि आवेदन की उपयुक्तता के बारे में उनका समाधान हो जाता है तो अधिनियम की अनुसूची में शामिल मसालों के निर्यात के लिए प्ररूप 'क' में आवेदक को प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा;"

(ग) उप-विनियम (1) के खंड (ठ) में "एक प्रमाणपत्र" शब्द के स्थान पर "यदि आवेदन निर्माता निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए है तो एक प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) उप-विनियम (1) के खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ड) निर्यातक, बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट, मसालों के निर्यात और आयात पर बोर्ड द्वारा यथा अवधारित विहित प्ररूप में विनिर्दिष्ट आवधिकता पर अपेक्षित दस्तावेजी सबूत के साथ, आवधिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।"

(ङ) उप-विनियम (1) के खंड (ढ) का लोप किया जाएगा।

(च) उप-विनियम (2) के खंड (क) में "25 रुपए" और अंक के स्थान पर "100 रु." अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(ii) प्ररूप क में "सचिव का हस्ताक्षर" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) प्ररूप 'ख' का लोप किया जाएगा।

सी. जे. जोस, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/92-आई/02-असाधारण]

पाद टिप्पण :—अधिसूचना फा. सं. प्र/पंजी/01/89 तारीख 5 अक्तूबर, 1989।

SPICES BOARD

NOTIFICATION

Cochin, the 4th September, 2002

F. No. Admn/Reg/01/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Spices Board hereby makes the following regulations further to amend the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, 1989, with the previous approval of the Central Government, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Spices Board (Registration of Exporters) (Amendment) Regulations, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, 1989:—

(i) in Regulation 3,—

(a) in sub-regulation (1), for clause (a), the words "the Secretary of" shall be deleted.

(b) in sub-regulation (1) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely : —

"(d) The certificate issuing authority, may if he is satisfied as to the suitability of the application, issue a certificate to export spices included in the Schedule of the Act, to the applicant in form A;"

(c) In sub-regulation (1), in clause (l), for words "A certificate" the words "if the application is for registration as manufacturer exporter, a certificate" shall be substituted;

(d) In sub-regulation (1), for clause (m), the following clause shall be substituted, namely :—

"(m) The exporter shall submit a periodical return in the prescribed form as determined by the Board on Exports and Imports of Spices, as specified by the Board, from time to time, with required documentary proof at specified periodicity;"

(e) in sub-regulation (1), clause (n) shall be omitted;

(f) in sub-regulation (2), in clause (a) for the letters and figures "Rs 25", the letters and figures "Rs.100" shall be substituted;

(ii) in Form A for the words "Signature of Secretary", the words "Officer Authorised by the Board" shall be substituted;

(iii) Form B shall be omitted.

C. J. JOSE, Chairman

[No. Advt/III/IV/92-I/02-Exty.]

Foot Note :—Notification F. No. Adm/Reg/01/89 dated 5th October, 1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2003/आषाढ़ 9, 1925
No. 105] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2003/ASADHA 9, 1925

मसाला बोर्ड

अधिसूचना

कोचिन, 30 जून, 2003

फा. सं. प्र./रजि./01/2003.— मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मसाला बोर्ड (निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड (निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मसाला बोर्ड (निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1989 के विनियम 3 में,

(i) उप विनियम (1) में खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"ड(क) प्रमाणपत्र धारक निर्यात संविदा में क्रेता के साथ यथा तय पाए गए विनिर्दिष्ट क्वालिटी मानकों के मामलों की लदाई करेगा"

(ii) उप विनियम 3 में खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(त) प्रमाणपत्र धारक संविदा के निबंधनों के अनुसार क्रेता के साथ की गई निर्यात संविदा के अधीन सभी बाध्यताओं को पूरा करेगा और यदि जब क्रेता ने संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा कर दिया है तो संविदा के निबंधनों और शर्तों में से किसी का भंग नहीं करेगा।"

सी. जे. जोस, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/80/2003/असा.]

पाद-टिप्पण : मूल विनियम अधिसूचना फा. सं. प्रशासन/रजिस्ट्रीकरण/01/89 तारीख 5 अक्तूबर, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. प्रशासन/रजिस्ट्रीकरण/01/2002, तारीख 4 सितम्बर, 2002 द्वारा संशोधित किए गए।

SPICES BOARD

NOTIFICATION

Cochin, the 30th June, 2003

F. No. Admn./Reg./01/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Spices Board hereby makes the following regulations further to amend the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989, with the previous approval of the Central Government, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Spices Board (Registration of Exporters) (Amendment) Regulations, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, 1989 in regulation 3,—

(i) in sub-regulation (1), after the clause (m), the following clause shall be added, namely:—

"m(a) the certificate holder shall effect shipment of spices of specified quality standards as agreed to with the buyer in the export contract."

(ii) in sub-regulation 3, after clause (o), the following clause shall be added, namely:—

"(p) The certificate holder shall fulfil all obligations under the export contracts entered into with the buyer as per the terms of the contract and shall not commit any breach of the terms and conditions of the contract, if the buyer has fulfilled his obligations under the contract."

C. J. JOSE, Chairman

[ADVT III/IV/80/2003/Exty.]

Foot Note : The principal regulations were published in the Gazette of India *vide* notification F. No. Admn./Reg./01/89 dated 5th October, 1989, and subsequently amended *vide* notification number Admn./Reg./01/2002 dated 4th September, 2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2004/ज्येष्ठ 31, 1926
No. 106] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2004/JYAISTHA 31, 1926

मसाला बोर्ड

अधिसूचना

कोचीन, 21 जून, 2004

फा. सं. प्र./रजि./01/2004.— मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिरट्रीकरण) विनियग, 1989 का और संसोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मसालों बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2004 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

3. मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1989 में, विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगी, अर्थात्:-

" 3. (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अनुदत्त किया जाना:-

(क) धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त करने का आवेदन बोर्ड को नियमों में उल्लिखित 'प्ररूप 1' में किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन के साथ 2000 रुपए की फीस मसाला बोर्ड, कोचीन के पक्ष में और उसको संदेय एक क्रास डिमांड ड्राफ्ट या डाकीय आदेश या धनादेश के रुप में होगी।

(ख) यदि केई आवेदन विहित प्ररूप में नहीं है या उसमें अपेक्षित विशिष्टियों में से कोई विशिष्टि नहीं है तो आवेदन को संक्षेप्तः रद्द किया जा सकेगा।

(ग) बोर्ड को एक बार प्रेषित फीस किन्हीं परिस्थितियों में भी प्रतिदेय नहीं होगी।

(घ) प्रगाणपत्र अनुदत करने के आवेदन के साथ आवेदक की वितीय प्रास्थिति की बाबत बैंक का एक निर्देश या प्रमाणपत्र लगा होगा।

1888 GI/2004

(ड.) प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी, यदि उसका आवेदन की उपयुक्तता के बारे में समाधान हो जाता है तो अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित मसालों का निर्यात करने के लिए आवेदक को 'प्ररूप क' में एक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

(च) यदि आवेदन 'प्ररूप क' में विनिर्माणकर्ता निर्यातकर्ता के रुप में प्रमाणपत्र के रजिस्ट्रीकरण के लिए है तो किसी ऐसे व्यक्ति को प्ररूप क में कोई प्रमाणपत्रं तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का मसालों के निर्यातकर्ता के मसाला प्रसंस्करण संयंत्र या इकाई में उपलब्ध सुविदाओं के संबंध में समाधान हो जाता है।

(2) प्रमाणपत्र का नवीकरण,-

(क) निर्यातकर्ता के रूप में प्रमाणपत्र का नवीकरण चाहने वाला कोई व्यक्ति, नियमों में उल्लिखित प्ररूप 1 में प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को एक आवेदन करेगा और उसके साथ उस वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व जिसमें प्रमाणपत्र की विधिमान्यता समाप्त होती है, उन विनियम में विनिर्दिष्ट फीस और रीति में लगी होगी:

परन्तु प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी, नवीकरण के आवेदन पर, विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख तक, प्रत्येक मास या उसके भाग के विलंब के लिए 100 रुपए की दर से अतिरिक्त फीस के संदाय पर विचार कर सकेगा।

(ख) यदि निर्यातकर्ता उस अवधि के दौरान कोई निर्यात कारबार नहीं करता है जिसके लिए वह कोई विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण करता है तो, निर्यातकर्ता के रूप में प्रमाणपत्र के नवीकरण पर अगले तीन वर्षो तक विचार नहीं किया जा सकेगा। तथापि, यदि निर्यातकर्ता कोई निर्यात संविदा करता है तो वह बोर्ड को इन विनियमों में विहित रीति से एक प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) प्रमाणपत्र के निबन्धन और शर्तें,-

(क) प्रत्येक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र धारक को व्यक्तिगत रूप से अनुदत्त किया गया समझा जाएगा और प्रमाणपत्र का विक्रय या अन्यथा अन्तरण नहीं किया जाएगा।

(ख) जहां, कोई प्रमाणपत्र धारक अपने कारबार का अन्य व्यक्ति को विक्रय करता है या अन्यथा अन्तरण करता है वहां, यथास्थिति, क्रेता या अन्तरिती इन विनियमों और नियमों के उपबन्धों के अनुसार नया प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा।

(ग) जहां किसी प्रमाणपत्र धारक निर्यातकर्ता के नाम या पते में कोई परिवर्तन होता है, वही वह प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को परिवर्तन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर परिवर्तन की सूचना देगा। प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी, युक्तियुक्त कारणों से, इस बाबत तीन मास की अवधि तक के विलंब को माफ

कर सकेगा। यदि जहां प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा विलंब को माफ नहीं किया जाता है या परिवर्तन की अपेक्षित सूचना को विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया जाता है, वहां निर्यातकर्ता नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा। विनिर्माणकर्ता-निर्यातकर्ता की दशा में प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह भी सत्यापित करेगा कि क्या परिवर्तन की बाबत प्रायोजक प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है। सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी नए समुत्थान को नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा जो, यथास्थिति, नाम या पते में परिवर्तन की तारीख से विधिमान्य होगा।

(घ) जहां, मृत्यु के कारण किसी प्रमाणपत्र धारण करने वाली निर्यातकर्ता फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होता है और स्वामी या भागीदार के रूप में मृतक के विधिक वारिसों का पारिणामिक प्रवेश है (किसी हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब समुत्थान की दशा में कर्ता के परिवर्तन से), और पुनर्गठिन फर्म इसके नाम और पते में किसी परिवर्तन के बिना पूर्ण कारबार का अधिग्रहण करता है वहां इसके नाम और पते के ऐसे परिवर्तन से किसी नए रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा नहीं होगी:

परन्तु यह कि जहां किसी प्रमाणपत्र धारक के स्वामित्व, गठन, भागीदारी या मुख्तारनामे के धारक में कोई परिवर्तन है, वहां प्रमाणपत्र समाप्त हुआ सामझा जाएगा और एक नया प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा:

परन्तु यह और कि उक्त परन्तुक पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के निदेशक बोर्ड के गठन में परिवर्तनों को लागू नहीं होगा।

(ड.) यदि, कोई प्रमाणपत्र धारक, उसके प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आने वाले कारबार की बाबत कोई भागीदारी करता है तो वह नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा।

(च) यदि, किसी प्रमाणपत्र के धारण करने वाली भागीदारी का विघटन हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे विघटन के ठीक पूर्व जो कोई भागीदार था, प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को उसके 30 दिन के भीतर विघटन पर एक रिपोर्ट भेजेगा।

(छ) प्रमाणपत्र धारक, समय समय पर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्ररूप में मसालों के निर्यात और आयात की बाबत एक नियतकालिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(ज) खण्ड (ट) और (ठ) के अधीन सहते हुए, प्रमाणपत्र धारक, निर्यात संविदा में क्रेता के साथ करार पाए विनिर्दिष्ट क्वालिटी मानकों के मसालों का यानान्तरण करेगा।

(झ) मसालों का प्रत्येक निर्यातकर्ता, अध्यक्ष द्वारा इस निमित प्राधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने की मांग पर, मसालों के निर्यातकर्ता के रूप में उसके कारबार के संबंध में उसके द्वारा रखे गए सभी लेखाओं, रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा।

(ञ) प्रमाणपत्र धारक, संविदा के निबन्धनों के अनुसार क्रेता के साथ हुई निर्यात संविदाओं के अधीन सभी बाध्यताओं को पूरा करेगा और संविदा के निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा यदि क्रेता ने संविदा के अधीन बाध्यताओं का पालन किया है।

(ट) प्रमाणपत्र धारक, किसी ऐसे मसालों के निर्यात की न तो संविदा करेगा और न ही ऐसे मसालों का निर्यात करेगा जो उस देश में प्रवृत्त क्वालिटी मानकों, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित मानकों और समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित क्वालिटी मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

(ठ) प्रमाणपत्र धारक, माल के भौगोलिक विनिर्देश (रजिस्ट्रीकरण और सुरक्षा) अधिनियम, 1999 (1999 की सं. 48) और उसके अधीन बनाए गए नियमों, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 की सं. 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 (1963 की सं. 22) और उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए, मसालों का निर्यात नहीं करेगा।

(ड) प्रत्येक प्रमाणपत्र धारक, मांग पर अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड या अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात प्रयोजनों के लिए प्रसंस्कृत किए जा रहे, पैक किए गए, भण्डार किए गए, भण्डारगृह कृत, आधानों में भरे हुए या परिवहन किए जा रहे मसालों से, उसके विश्लेषण करने के लिए, बोर्ड द्वारा अभिहित प्रयोगशालाओं में विहित क्वालिटी मानकों के अनुरूप, का सत्यापन करने के लिए नमूने लेने के लिए अनुज्ञात करेगा।

(ढ) प्रत्येक प्रमाणपत्रधारक को, यदि अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो, निर्यात करने से रोक सकेगा या पहले से निर्यात किए गए ऐसे मसालों को, जो इन विनियमों में यथाउपबंधित लिए गए नमूनों के विश्लेषण के दौरान विहित मानकों का समाधान करते हुए नहीं पाए जाते हैं, उसके खर्चे पर वापस मंगा सकेगा।

(ण) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता, निर्यात की अपनी संविदा को, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा विहित ऐसे मसालों की बाबत निर्यात से पूर्व रजिस्टर करेगा।

(त) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे मसालों की बाबत अपने ब्रांड नामों का रजिस्ट्रीकरण करेगा यदि वे ब्रांड नामों के अधीन उपभोक्ता पैकों में निर्यात का प्रस्ताव करते हैं।"

[फा. सं. 7/2/99-ईपी (एग्री. V)]

सी.जे. जोस, अध्यक्ष,

[विज्ञापन सं. III/IV/असा./80/04]

पाद टिप्पण :— मूल विनयम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना फा.सं० प्रशा०/रजि०/01/89 तारीख अक्तूबर 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना फा.सं० प्रशा०/रजि०/01/ 2002 तारीख 4 सितम्बर, 2002 और अधिसूचना फा.सं० प्रशा०/रजि०/01/2003 तारीख 30 जून, 2003 द्वारा किए गए थे।

SPICES BOARD

NOTIFICATION

Cochin, the 21st June, 2004

F. No. Admn./Reg/01/2004.— In exercise of the powers conferred by section 39 of the Spices Board Act 1986, (10 of 1986), the Spices Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989, namely:-

1. These Regulations may be called the Spices Board (Registration of Exporters) Amendment Regulations, 2004.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Spices Board (Registration of Exporters) Regulation 1989, for regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely:-

"3. (I) Grant of Certificate of Registration:-

a) An application for grant of certificate under section 12 shall be made to the Board in 'Form 1' mentioned in the Rules. Every application shall be accompanied by a fee of Rupees two thousand by a crossed demand draft or postal order or money order drawn and payable to the Spices Board, Cochin.

b) If an application is not in the prescribed form or does not contain any of the required particulars, the application may be summarily rejected.

c) The fees once remitted to the Board shall not be refunded under any circumstances.

d) Application for grant of certificate shall be accompanied by a bank reference or certificate in respect of the financial status of the applicant.

e) The certificate issuing authority may, if he is satisfied as to the suitability of the application, issue a certificate to export spices included in the Schedule of the Act, to the applicant in 'Form A'.

f) If the application is for registration as manufacturer exporter, a certificate in 'Form A' shall not be granted to a person unless the certificate issuing authority is satisfied with the facilities available in the spices processing plant or unit of the exporter of the spices.

(2) Renewal of Certificate:-

a) Any person desiring to renew the certificate as exporter shall submit an application in 'Form 1' mentioned in the Rules to the certificate issuing authority accompanied with the fees and in the manner specified in sub-regulation on or before 30th June of the year in which the validity of the certificate expires:

Provided that the certificate issuing authority may entertain an application for renewal up to the date of expiry of the existing certificate on payment of additional fee at the rate of Rs.100/- for the delay of each month or part thereof.

b) If the exporter does not carry on any export business during the period in which he holds a valid certificate, the renewal of certificate as exporter for the next three years may not be considered. However, if the exporter enters into an export contract, he may apply to the Board for a fresh certificate in the manner prescribed in these Regulations.

(3) Terms and conditions of certificate:-

a) Every certificate shall be deemed to have been granted personally to the certificate holder and no certificate shall be sold or otherwise transferred.

b) Where a certificate holder sells or otherwise transfers his business to another person, the purchaser or transferee, as the case may be, shall obtain a fresh certificate in accordance with the provisions of these Regulations and Rules.

c) Where there is any change in the name or address of any certificate holding exporter, he shall intimate the change to the certificate issuing authority within a period of 30 days from the date of the change. The certificate issuing authority may for sufficient reasons condone any delay in this regard up to a period of three months. In case where the delay is not condoned by the certificate issuing authority or requisite intimation about the change is not sent within the time specified, the exporter shall apply for fresh registration. In the case of manufacturer-exporters the certificate issuing authority shall also verify whether the permission of the sponsoring authority in regard to the change has been obtained. After due verification, the certificate issuing authority may issue a fresh registration certificate to the new concern, which shall be valid from the date of change in name or address as the case may be.

d) Where there is a change in the constitution of a certificate holding exporter firm by death and consequential admission of the legal heirs

of the diseased as owner or partner (or by a change of Karta in the case of Hindu undivided family concern), and the reconstituted firm takes over the business as a whole without any change in its name and address such change will not require any fresh registration:

Provided that where there is a change in the ownership, constitution, partnership or power of attorney holder of any certificate holder, the certificate shall be deemed to have expired and a fresh certificate shall be required:

Provided further that the said proviso shall not apply to changes in the constitution of the Board of Directors of public limited companies.

e) If a certificate holder enters into a partnership in regard to the business covered by his certificate, he/she shall apply for a fresh certificate.

f) If a partnership holding a certificate is dissolved every person who was a partner immediately before such dissolution shall send a report, on the dissolution to the certificate issuing authority within thirty days thereof.

g) The certificate holder shall submit a periodical return regarding exports and imports of spices in the prescribed form as specified by the Board, from time to time.

h) Subject to clause (k) and (l), the certificate holder shall effect shipment of spices of specified quality standards as agreed to with the buyer in the export contract.

i) Every exporter of spices shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers, and other records kept by him in connection with his business as spices exporter.

j) The certificate holder shall fulfill all obligations under the export contracts entered into with the buyer as per the terms of the contract and shall not commit any breach of the terms and conditions of the contract, if the buyer has fulfilled his obligations under the contract.

k) The certificate holder shall neither contract to export nor export spices which do not conform to the quality standards in force in the country to which they are exported, the standards prescribed by the Prevention of Food Adulteration Act 1954 (37 of 1954) and Rules made thereunder and quality standards prescribed by the Board, from time to time.

l) The certificate holder shall not export spices in contravention of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (No.48 of 1999) and the rules made thereunder, the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (No.1 of 1937) and the rules made thereunder and the Export Quality Control and Inspection Act, 1963 (No.22 of 1963) and the rules made thereunder.

m) Every certificate holder shall, on demand, allow, any officer of the Board or agency authorized in this behalf by the Chairman, to draw samples, from spices being processed, packed, stored, warehoused, container stuffed or transported for export purposes, for analysis of the same, to verify conformity to prescribed quality standards, in the laboratories designated by the Board.

n) Every certificate holder shall, if so required, by an officer authorized in this behalf by the Chairman, refrain from exporting or recall if already exported, at his expense, spices, which, during analysis of samples drawn as provided in these regulations, are found to be not satisfying the prescribed standards.

o) Every registered exporter shall register his contract of exports with the Board prior to the export in respect of such spices as specified by the Board from time to time.

p) Every registered exporter shall register his brand names in respect of such spices as notified by the Board from time to time, if they propose to export in consumer packs under brand names."

[F. No. 7/2/99-EP (Agri, V)]

C.J. JOSE, Chairman,

[ADVT No. III/IV/Exty./80/04]

Foot Note :— The principal regulations were published in the Gazette of India vide Notification F.No.Admn/Reg/01/89 dated 5th October 1989 and subsequently amended vide Notification F.No.Admn/Reg/01/2002 dated 4th September 2002 and Notification F.No.Admn/Reg/01/2003 dated 30th June 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.